क्रम-संख्या–141(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 16 अगस्त, 2023

श्रावण 25, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1

संख्या 10/2023/313/80-1–2023-80-1099-18-2023
लखनऊ, 16 अगस्त, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–35

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (सत्ताइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पाादन मण्डी (सत्ताइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी:

प्रतिबंध यह है कि गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्ति होगी।

नियम 67 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में नियम 67 में,–

(क) उप–नियम (1) की सारणी में, क्रम-संख्या 6 की प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ख) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान उप–नियम (4) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप-नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम**
(4) थोक व्यापारी एवं आढ़तिया या थोक व्यापारी या आढ़तिया के रूप में मण्डी समिति में कार्य करने के लिए नया लाइसेंस जारी करने के या लाइसेंस के नवीकरण के प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ मण्डी समिति के पक्ष में सम्यक् रूप से बन्धक कराकर, बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत के रूप में 1,000 रूपये और एकीकृत लाइसेंस के मामले में 1,00,000 (एक लाख रूपये) प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा।	(4) थोक व्यापारी सह आढ़तिया अथवा थोक व्यापारी या आढ़तिया के रूप में कार्य करने के लिए नया लाइसेंस जारी करने या लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ मण्डी समिति के पास सम्यक् रूप से गिरवी रखकर मण्डी समिति के खाते में, बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत पत्र या डिजिटल भुगतान के रूप में 1,000 रूपये प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा।

नियम 139, 140 और 141 का बढ़ाया जाना

3–उक्त नियमावली में, नियम–138 के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात:–

"खाद्य प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाए गए विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर से छूट

[धारा 17–क(1)(ग)]

139–राज्य के बाहर से, खाद्य प्रसंस्करण के लिए लाये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर की छूट के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

(एक) राज्य के बाहर से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन को लाने से पहले, प्रसंस्करणकर्ता, राज्य के बाहर भुगतान किये गये शुल्क (यदि कोई हो) के विवरण सहित ई–मण्डी पोर्टल पर यथा उपलब्ध प्रारूप में प्रि-अराइवल स्लिप ऑनलाइन जारी करेगा।

(दो) सुसंगत दस्तावेज अर्थात कृषि उत्पापदन के क्रय का बिल, बिल्टी और उस राज्य में लागू मण्डी शुल्क तथा अधिभार के भुगतान की रसीद (यदि कोई हो) उस वाहन पर रखी जायेगी जिसके द्वारा उत्पादन का परिवहन किया जा रहा हो।

(तीन) प्रसंस्करण इकाई में ऐसे कृषि उत्पादन के पहुँचने पर, प्रसंस्करणकर्ता द्वारा इसे "प्रसंस्करण के लिए स्टॉक" में ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा।

(चार) जब कभी मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित हो, प्रसंस्करणकर्ता; उप खण्ड (दो) में यथा वर्णित दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।

खाद्य प्रसंस्कररण हेतु राज्य के कृषक-उत्पादक से सीधे क्रय किये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क और विकास उपकर से छूट

[धारा 17–क(1)(घ)]

140–खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य के कृषक-उत्पादक से सीधे क्रय किये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क और विकास उपकर से छूट के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

(एक) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक उत्पादक से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन का क्रय, प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, मण्डी उप स्थल, निजी मण्ड़ी स्थल, सीधे विपणन लाइसेंस में उल्लिखित क्रय–स्थल या धारा 7 में यथावर्णित मण्डी क्षेत्र में किसी अन्य स्थान से करेगा।

(दो) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक-उत्पादक के निम्लिखित ब्यौरों का उल्लेख करते हुए प्रपत्र सं०–6 जारी करेगा:–

(क) कृषक-उत्पादक का नाम
(ख) पिता का नाम
(ग) ग्राम, तहसील
(घ) जिला
(ड.) खसरा संख्या व क्षेत्रफल
(च) कृषक-उत्पादक का मोबाइल संख्या

(तीन) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक-उत्पादक को निदेशक द्वारा यथा विहित भुगतान रसीद जारी करेगा तथा ई-मण्डी पोर्टल पर रसीद की विवरणियों को भरेगा। प्रसंस्करणकर्ता, रसीद की प्रति मण्डी समिति को जब कभी अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगा।

(चार) प्रत्यक्ष विपणन के स्थान से क्रय करने के मामले में प्रसंस्करणकर्ता सम्बंधित मण्डी समिति को क्रय से पूर्व निदेशक द्वारा विहित और ई-मण्डी पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में ऑनलाइन सूचित करेगा।

(पाँच) किसी विशिष्ट कृषि वर्ष में, नियम 139 और नियम 140 के अधीन किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिये मण्डी शुल्क व विकास उपकर से छूट प्राप्त विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन की कुल मात्रा, उस वर्ष के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई की क्षमता से अधिक नही होगी।

(छः) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक-उत्पादक के खाता में धनराशि का भुगतान करेगा तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख प्रपत्र–6 के माध्यम से रखेगा।

(सात) भुगतान का ब्यौरा 15 दिनों के भीतर मण्डी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

(आठ) प्रसंस्करणकर्ता द्वारा कृषक-उत्पादक को 10 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में भुगतान करना होगा। यदि प्रसंस्करणकर्ता पूर्व उल्लिखित कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो मण्डी शुल्क और विकास उपकर की छूट अविधिमान्य हो जाएगी।

(नौ) प्रसंस्करणकर्ता द्वारा 15 दिनों के भीतर मण्डी पोर्टल पर भुगतान का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। यदि प्रसंस्करणकर्ता पूर्व उल्लिखित कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो मण्डी शुल्क और विकास उपकर की छूट अविधिमान्य हो जाएगी।

मण्डी समितियों की आय में होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति [धारा 17–क(1)(ड.)]

141–(1) वित्तीय वर्षों 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 तथा 2022–23 के लिये (वर्ष 2020–21 और 2021–22 जब कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन तथा सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2020) प्रवृत्त, था अथवा कोविड महामारी फैली हुई थी, को अपवर्जित करके) राज्य के समस्त ए0पी0एम0सी0 के लिए प्रपत्र 6 के अनुसार व्यापार पर देय जिन्सवार मण्डी शुल्क और विकास उपकर को जोड़कर पृथकतः गणना की जायेगी। अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गयी जिन्सवार, मण्डी शुल्क और विकास उपकर से छूट के कारण प्रतिपूर्ति या अधित्यजित धनराशि, यदि कोई हो, को भी उस वित्तीय वर्ष के लिए संगणित की जायेगी और प्रपत्र–6 के आधार पर गणित धनराशि से इसको घटा दिया जायेगा। इस प्रकार संगणित धनराशि राज्य की समस्त ए0पी0एम0सी0 की उस वित्तीय वर्ष की जिन्सवार वार्षिक आय होगी।

(2) सभी ए0पी0एम0सी0 की आय में, जिन्सवार, वार्षिक वृद्धि की औसत दर की गणना, पिछले पाँच वर्षों की उपर्युक्त रीति से संगणित आय के आधार पर की जायेगी।

वार्षिक वृद्धि की इस गणना के लिए, जिस दर पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहीत किया गया है, उसे ध्यान में रखा जाएगा और गणना इस प्रकार की जाएगी मानो कि मण्डी शुल्क ऐसी अवधि के लिए 1 प्रतिशत हो, जब व्यापार पर 2 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क उद्ग्रहीत किया गया हो।

(3) किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए समस्त ए0पी0एम0सी0 की कुल आय, जिन्सवार कुल आय की वार्षिक वृद्धि की औसत दर के साथ अनुमानित की जायेगी। एक वर्ष में प्राप्त जिन्सवार मण्डी शुल्क और विकास उपकर की संसूचना प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दी जायेगी। उपर्युक्त रीति से गणना की गई अनुमानित आय और उस वित्तीय वर्ष में ए0पी0एम0सी0 द्वारा प्राप्त वास्तविक आय में अन्तर की प्रतिपूर्ति उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के वार्षिक आय-व्ययक के माध्यम-से की जायेगी।"

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 10/2023/313/ LXXX-1–2023-80-1099-18-2023, dated August 16, 2023 :

No. 10/2023/313/LXXX-1–2023-80-1099-18-2023

Dated Lucknow, August 16, 2023

IN exercise of the powers under sub-section (1) of Section 40 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964), *read* with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SATTAISWAN SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2023

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sattaiswan Sanshodhan) Niyamawali, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*:

Provided that they shall remain in force for a period of five years with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 67

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 (hereinafter referred to as the "said rules") in rule 67-

(a) in the table to sub-rule(1), entries at serial no. 6 shall be *omitted*;

(b) *for* the existing sub-rule (4) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:-

Column-1 *Existing sub-rule*	Column-2 *Sub-rule as hereby substituted*
(4) *For* functioning as wholesale trader-cum-commission Agent or Wholesale Trader or Commission Agent, each application for the issue of new licence or for the renewal of licence shall be accompanied with a deposit of Rs.1,000 and in case of unified licence Rs. 1,00,000 as security in the form of Bank Draft or N.S.C., duly pledged to the Market Committee.	(4) *For* functioning as wholesale trader-cum-commission Agent or Wholesale Trader or Commission Agent, each application for the issue of new licence or for the renewal of licence shall be accompanied with a deposit of Rs. 1,000 as security in the form of Bank Draft or N.S.C. or Digital Payment in account of Mandi Samiti, duly pledged to the Mandi Samiti.

Insertion of rules 139, 140 and 141

3. In the said rules, *after* rule-138 the following new rules shall be *inserted*, namely:-

"Exemption of Mandi fee and development cess on specified agricultural produce brought from outside the State for food processing [Section 17-A(1)(c)]

139. To exempt mandi fee and development cess on specified agricultural produce, brought from outside the State for food processing, following procedure shall be adopted:-

(i) Before bringing the specified agricultural produce from outside the State, processor shall issue pre arrival slip online, in the format as available in e-mandi portal including details of fee (if any) paid outside the State.

(ii) Relevant documents viz. bill of purchase of agricultural produce, bilti, and payment receipt (if any) of market fee and surcharge applicable in the State where purchase has been done, shall be kept on the vehicle by which transport of produce is being carried out:

(iii) On arrival of such agricultural produce to processing unit, the processor shall enter it online, into the "Stock for Processing".

(iv) As and when required by Mandi Samiti, the processor shall produce the documents as described in sub clause (ii).

Exemption of Mandi fee and development cess on specified agricultural produce purchased directly from farmer-producer of the State for food processing [Section 17-A(1)(d)]

140. To exempt mandi fee and development cess on specified agricultural produce purchased directly from farmer-producer of the state for processing, following procedure shall be adopted-

(i) The processor shall purchase the specified agriculture produce from farmer-producer in Principal Market Yard, Sub Market Yard, Market Sub-Yard, Private Market Yard, place of purchase mentioned in direct licence or any other place in market area as described in Section 7.

(ii) The processor shall issue Form no-VI, mentioning following details of farmer-producer :-

(A) Name of Farmer-Producer.
(B) Father's Name.
(C) Village, Tehsil .
(D) District.
(E) Khasra Number and Area.
(F) Mobile number of Farmer-Producer.

(iii) The processor shall issue payment receipt, as prescribed by Director, to farmer-producer and fill the particulars of receipt on E-Mandi Portal. Processor shall produce a copy of receipt to Mandi Samiti as and when required.

(iv) In case of purchase at the place of direct marketing, the processor shall inform the concerned mandi samiti, online in the format prescribed by Director and available on E-Mandi Portal before the purchase.

(v) In a particular agricultural year, total quantity of specified agricultural produce exempted from market fee and development cess for a food processing unit under rule 139 and rule 140 shall not exceed the capacity of the food processing unit for that year.

(vi) The Processer shall pay the amount in the farmer-producer's account and keep the record thereof *vis- a- vis* Form-VI.

(vii) The payment details should be uploaded on the mandi portal within 15 days.

(viii) The processor shall make the payment to the farmer-producer within 10 days in their bank account. If the processor fails to perform the aforementioned action, the exemption of mandi fee and development cess will become invalid.

(ix) The processor shall provide complete payment details on the mandi portal within 15 days. If the processor fails to perform the aforementioned action, the exemption of mandi fee and development cess will become invalid.

Reimbursement of shortfall in the income of market committees [Section 17-A(1)(e)]

141.(1) A calculation shall be made separately for financial years 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2022-23 (excluding 2020-21 and 2021-22 when Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 (Act no. 21 of 2020) was in force or epidemic Covid spread was there), adding market fee and development cess, commodity wise due on trade, according to Form-VI, for all APMCs of the State. Amount reimbursed or waived off on account of exemption from Market fee and Development cess, commodity wise, given under provisions of Act, if any, shall also be calculated for that financial year and shall be deducted from the amount calculated on the basis of Form-VI. The amount so calculated will be commodity wise yearly income of all APMCs of the State in that financial year.

(2) The average rate of yearly growth, commodity wise, in the income of all the APMCs, shall be calculated based on last five years income calculated in above manner.

For this calculation of yearly growth, rate at which market fee has been levied, shall be taken into account, and calculation will be made of as if the market fee were 1% for such period when market fee was levied at the rate of 2% of the trade.

(3) With this average rate of yearly growth of commodity wise total income, the total income of all the APMCs for a particular financial year will be projected. The commodity wise market fee and development cess received in a year will be communicated to the food processing department in month of April every year. The difference in projected income, calculated in above manner and actual income received by APMCs in that financial year shall be reimbursed through Annual Income-Expenditure of Horticulture and Food Processing department, Government of Uttar Pradesh."

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 527 राजपत्र–2023–(1672)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा0 कृषि विपणन एवं कृषि वि0 व्या0–2023–(1673)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।